अजनर पुलिस ने अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्ता गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर व अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अवैध शराब/जुआं के विरुद्ध अभियान के क्रम में कल दिनांक 18.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक अजनर श्री विनोद कुमार द्वारा थाना पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीमें बनाकर अलग-अलग जगहों पर दबिश दी गयी तो कबुतरा डेरा ग्राम धवर्रा के पास से 02 अदद प्लास्टिक के डिब्बों में 15-15 लीटर व एक प्लास्टिक की पिपिया में 15 लीटर कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता आरती पत्नी अमित कबुतरा उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व कबुतरा डेरा ग्राम गंज के पास से 02 अदद प्लास्टिक के डिब्बों में 15-15 लीटर कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता करीना पत्नी विक्की कबुतरा उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 155/2020 व 156/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरणः-

1. आरती पत्नी अमित कबूतरा उम्र 28 वर्ष नि0ग्राम कबूतरा डेरा धवर्रा थाना अजनर
2. करीना पत्नी विक्की कबूतरा उम्र 22 वर्ष नि0ग्राम कबूतरा डेरा गंज थाना अजनर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम/आबकारी बलः-

1.उ0नि0 राजेश कुमार प्रजापति चौकी प्रभारी धवर्रा थाना अजनर।
2. कां0 पीयूष सिंह 3. म0कां0 पिंकी यादव
4. आबकारी निरीक्षक योगेश कुमार गुप्ता 5. आ0 कां0 मुस्ताक उल्ला जनपद महोबा।

अजनर पुलिस ने थाना क्षेत्र के टाप-10 वांछित इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर व अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी शातिर अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक अजनर श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी जब थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2020 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट का वांछित शातिर अभियुक्त (टाप-10 अपराधी) इनामियां अभियुक्त गैंगलीडर कल्लू उर्फ रामकिशोर पुत्र रामसहाय राजपूत उम्र 30 वर्ष जो दिनांक 08/08/2020 से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 10,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था को मोहनपुर तिगैला ग्राम बुधवारा थाना अजनर से गिरफ्तार करते हुये मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

नाम व पता इनामिया टाप-10 अपराधी -

कल्लू उर्फ रामकिशोर पुत्र रामसहाय राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम वुधवारा थाना अजनर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना अजनर जनपद महोबा
2. उ.नि. श्री नीरज कुमार सिंह थाना अजनर जनपद महोबा
3. का. नरेन्द्र बाबू थाना अजनर जनपद महोबा
4. का. जीतेन्द्र सिंह गौतम थाना अजनर जनपद महोबा
5. का.वलजीत सिंह थाना अजनर जनपद महोबा

अपराधिक इति. अभि. कल्लू उर्फ रामकिशोर पुत्र रामसहाय राजपूत निवासी ग्राम वुधवारा थाना अजनर जिला महोबा

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना
1	120/2020	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	अजनर (वान्छित)
2	114/19	392/411 भादवि	अजनर
3	128/19	307 भादवि	अजनर
4	136/19	3/25 शस्त्र अधि.	अजनर
5	135/18	394/34 भादवि	नौगांव छतरपुर म.प्र.
6	142/18	25/27 शस्त्र अधि.	नौगांव छतरपुर म.प्र.

महोबा पुलिस

श्रीनगर पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर व अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अवैध शस्त्र/शराब/जुआं के विरुद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी जब मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मनीष कुमार शुक्ला पुत्र रहस बिहार शुक्ला उम्र 28 वर्ष को मय 01 अदद तमंचा देशी 32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर नाजायज के साथ नन्हू सिंह की किराना दुकान के पास मैन बाजार तिराहा कस्बा व थाना श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 158/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मां0 न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

मनीष कुमार शुक्ला पुत्र रहस बिहार शुक्ला उम्र 28 वर्ष निवासी मोहल्ला बांस पहाडिया कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम/आबकारी बलः-

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश थाना श्रीनगर जनपद महोबा।
2. कां0 आशीष पाल थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

महोबकंठ पुलिस ने अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर व अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अवैध शराब/जुआं के विरुद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी अभियान के क्रम में कल दिनांक 18.09.2020 को थानाध्यक्ष महोबकंठ आनन्द कुमार द्वारा गठित संयुक्त टीमों के प्रयास से 02 स्थानों पर दबिश दी जिसमें अभियुक्ता सुनीता कबूतरा पत्नी मनीष कबूतरा को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ भूरा टुडर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त प्रदीप कबूतरा पुत्र खन्ना कबूतरा को 10 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज के साथ ग्राम तेलीपहाडी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 140/2020 व 141/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. सुनीता कबूतरा पत्नी मनीष कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा महोबकंठ।
2. प्रदीप कबूतरा पुत्र खन्ना कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाला पुलिस बल(संयुक्त टीमें)-

1. उ0नि0 रामकिशोर सिंह 2. कां0 दिलीप कुमार 3. म0कां0 आकांक्षा पटेल

1. उ0नि0 कमलेश कुमार 2. कां0 पंकज कुमार 3. म0कां0 आरती यादव।

अग्निशमन टीम द्वारा किया गया सैनेटाइजेशन कार्यः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में वैश्विक महामारी **कोविड-19** के प्रसार की रोकथाम हेतु जनपद में वृहद रूप से अग्निशमन टीम द्वारा सैनेटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है । इसी क्रम में आज दिनाँक 19.09.2020 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उ0नि0 श्री देवेश तिवारी मय अग्निशमन टीम द्वारा अग्निशमन वाहनों द्वारा थाना कोतवाली कुलपहाड पर सैनेटाइजेशन का कार्य किया गया।

महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त कर की गई संदिग्धो की चेकिंग व लोगो को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरुक

आज दिनाँक 19.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थानो द्वारा पैदल गस्त की गई । गस्त के दौरान थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार/होटल/ढाबा की चेकिंग की गई । रोड़ पर चलने वालो वाहनो को भी रोककर उनकी सघन चेकिंग की गई। पैदल गस्त के दौरान लोगो को **कोविड-19** संक्रमण के बारे में बताया गया तथा इसके जागरुक भी किया गया । लोगो को घरो से बाहर निकलने पर **मास्क लगाने व 02 गज की दूरी** बनाये रखने को कहा गया।

कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 20050/-रू0 का जुर्माना एवं यातायात नियमो के तहत किये गये ई-चालान

आज दिनाँक 19.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रो में भी चेकिंग की गई। जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमो के उल्लंघन** पर समस्त थानों द्वारा **कोविड-19 के तहत 159 व्यक्तियों से 20050/-रू0** जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमो के उल्लंघन पर **69 ई-चालान** किया गया।

जागरुकता अभियान के तहत लोगो को **नोवल कोरोना वायरस** के प्रति लोगो को जागरूक करते हुए घरो में सुरक्षित रहने तथा **मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेन्स (02 गज की दूरी)** बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।